फर्द अहकाम

सुजा बनाम सरकार

यायालय

ख्या 218/2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18/7/24	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 पेश किया रिपोर्ट सरिश्ता मलान हो चुकी है पत्रावली पर रजिस्टर की जाकर वकील प्रार्थी सुने गये। प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाता है विरुद्ध नियम प्रकरण दर्ज लिखवाया जाकर स्थापित पत्रावली निरस्त की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (...)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:45:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर—द्वितीय (सांगानेर),जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 218/2024
निर्णय दिनांक : 18.07.2024

सूजा देवी धर्मपत्नी बालूराम जाति हरियाणा ब्राहम्ण निवासी ग्राम विमलपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

सरकार द्वारा सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 414 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 415 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 416 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 417 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 419 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 424 रकबा 0.4100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 425 रकबा 0.5900 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.2500 हैक्टयर वाके ग्राम विमलपुरा पटवार हल्का विधाणी भू. अभि. नि. क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें हिस्सा 1/9 की खातेदारी प्रार्थीया के पूर्व नाम सुजाता देवी के नाम से तथा हिस्सा 1/18 की खातेदारी प्रार्थीया के वर्तमान नाम सूजा देवी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीया की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 415/442 रकबा 0.0900 हैक्टेयर वाके ग्राम विमलपुरा पटवार हल्का विधाणी भू. अभि. नि. क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें हिस्सा 1/9 की खातेदारी प्रार्थीया के पूर्व नाम सुजाता देवी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रार्थीया की खातेदारी के आगे निम्न प्रकार से इन्द्राज किया हुआ है "सुजाता देवी पत्नी बालूराम हिस्सा 1/9 जाति हरियाणा ब्राहम्ण सा. देह खातेदार"। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक व दो में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने निहित हक व हिस्सा को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांकित 20.10.2010 द्वारा इसके पूर्व खातेदार मु० दुर्गा बेवा भैरूराम से कय कि थी तथा प्रार्थीया द्वारा क्रयशुदा भूमि का नामान्तरकरण भी उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर प्रार्थीया के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में खुल कर दर्ज हो गया तथा उक्त वादग्रस्त भूमि में अपने क्रयशुदा हिस्से के अनुसार प्रार्थीया सहखातेदार हैं। यह कि प्रार्थीया का शुरू से ही घर में सुजाता देवी के नाम से जाना जाता है। अर्थात प्रार्थीया को उसकी शादी से पूर्व अपने मायके में सुजाता देवी के नाम से जाना व पहचाना जाता रहा है, जिसके आधार पर ही उक्त वादग्रस्त भूमि को कय करते समय विक्रय पत्र एवं जमाबन्दी में प्रार्थीया का घरेलू नाम सुजाता देवी अंकित कर दिया गया, जबकि प्रार्थीया के विवाह के पश्चात से ही प्रार्थीया का सही व शुद्ध नाम सूजा देवी है तथा प्रार्थीया के आधार कार्ड, राशनकार्ड, जनाधार कार्ड, जमाबन्दी आदि में भी प्रार्थीया का सही, शुद्ध एंव वर्तमान नाम सूजा देवी अंकित है। प्रार्थीया ने अपने सही एंव शुद्ध नाम सूजा देवी की उद्घोषणा करवाने के बाबत राजकीय गजट दिनांक 03 जुलाई 2023 में शपथ पत्र का प्रकाशन करवा लिया है तथा अब से प्रार्थीया को उसके सही एंव सत्य नाम सूजा देवी से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है तथा भविष्य में अब प्रार्थीया को उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:45:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

सही एंव शुद्ध नाम सूजा देवी के नाम से जाना व पहचाना जावेगा। प्रार्थीया उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में भी अपने पुराने नाम सुजाता देवी के स्थान पर अपना सही एंव वर्तमान नाम सूजा देवी अंकित करवाना चाहती है, इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी बाबत हुए इन्द्राज में प्रार्थीया के पुराने नाम सुजाता देवी के स्थान पर प्रार्थीया का सही एंव शुद्ध नाम सूजा देवी को राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाना न्यायहित में आवश्यक एंव उचित है। प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपना सही एवं वर्तमान नाम का अंकन करने के लिए अप्रार्थी से कई बार निवेदन कर चुकी है किन्तु इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा उक्त गलत इन्द्राजात को दुरूरत कर प्रार्थीया का सही व सत्य नाम अंकित किये जाने की कोई कार्यवाही नही की है और प्रार्थीया ने अप्रार्थी से दिनांक 06.06.2024 को निवेदन किया तो कि अप्रार्थी ने कहा कि उक्त सही व शुद्ध नाम का अंकन श्रीमान् एस. डी. ओ. साहब के आदेश से ही किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीया द्वारा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी में प्रार्थीया के पुराने नाम सुजाता देवी के स्थान पर प्रार्थीया का सही एंव शुद्ध नाम सूजा देवी को अंकन किये जाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

अतः प्रार्थीया की ओर से प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक व दो में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया के पूर्व नाम सुजाता देवी के स्थान पर हाल व सही नाम सूजा देवी का अंकन किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को प्रार्थना पत्र सुना गया। प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक व दो में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया के पूर्व नाम सुजाता देवी के स्थान पर हाल व सही नाम सूजा देवी का अंकन किये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

हमने बहस प्रार्थी अधिवक्तापर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को प्रार्थी की वाके ग्राम प्रार्थीया की ग्राम विमलपुरा पटवार हल्का विधाणी भू. अभि. नि. क्षेत्र गोनेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 414 रकबा 0.3000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 415 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 416 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 417 रकबा 0.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 419 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 424 रकबा 0.4100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 425 रकबा 0.5900 हैक्टेयर कुल किता 7 कुल रकबा 2.2500 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 415/442 रकबा 0.0900 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया के पूर्व नाम सुजाता देवी के स्थान पर हाल नाम सूजा देवी अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सांगानेर को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:45:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,जयपुर द्वितीय (सांगानेर),जयपुर

फोन 0141-2731100 ईमेल: sdo2san@gmail.com

क्रमांक / कोर्ट / 2024 / 5173 दिनांक 25/7/24

तहसीलदार

तहसील सांगानेर।

विषयः– न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 218 / 2024 उनवानी सूजा देवी बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 में दिनांक 18.07.2024 को जारी निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 218 / 2024 उनवानी सूजा देवी बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 में दिनांक 18.07.2024 की प्रति पत्र के संलग्न आपको भिजवाई जा रही है। अगर अन्य किसी दीगर न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो निर्णय की पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

(हिम्मत सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट

जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)

जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh

Date: 2024.09.06 15:45:05 IST

Reason: SelfAttested